



समता आन्दोलन समिति (रज.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह

माननीय श्री भागीरथ शर्मा

संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरडिया
महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के. झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दुल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 56580-56780

दिनांक : 28.06.2021

श्रीमान अशोक गहलोत,
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार, जयपुर ।

विषय:- जातिगत आधार पर न्यायपालिका की अवमानना रोकने बाबत ।

सन्दर्भ:- PHED में सामान्य पदों पर, जातिगत दबाव में आकर अविधिक रूप से SC/ST को पदोन्नति देने की कवायद / मुख्यसचिव की अध्यक्षता में 30.06.2021 को आहूत बैठक ।

महोदय,

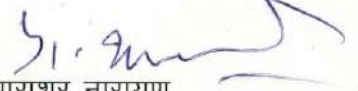
विनम्र निवेदन है कि (PHED) जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में इंजीनियरिंग संवर्ग में सामान्य पदों पर SC/ST को पदोन्नति नहीं देने का निर्णय पिछले वर्ष सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा दिनांक 09.10.2020 को दिया गया है। यह निर्णय संवैधानिक प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और राजस्थान सरकार की अधिसूचनाओं की पालना में दिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार सचिवालय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकृत प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (विधि) से राय लेने के बाद इस प्रकरण में "No Appeal" का निर्णय भी हो चुका है। फिर भी लम्बे समय से DPC नहीं हो पा रही है।

हमारी जानकारी में यह भी आया है कि अजा/अजजा वर्ग के कुछ विधायकों ने आप श्रीमान पर जातिगत दबाव बनाकर श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2021 को एक बैठक बुलाई गयी है ताकि उक्त विधिसम्मत "No Appeal" के निर्णय को बदलकर आगे अपील करवाकर इस प्रकरण को उलजाया जा सके। इस प्रकार से जातिगत दबाव में आकर किये गये अविधिक निर्णय आप द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों को गौण बनाते हैं तथा आपकी सरकार की छवि की धूमिल करते हैं। प्रदेश के करीब पाँच करोड़ (72%) से अधिक सामान्य, ओबीसी वर्ग के मतदाताओं के मन में आप श्रीमान की प्रतिष्ठा एक कमजोर और जातिवादी शाषक के रूप में बनती है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत दि 30.06.2021 की उपरोक्त बैठक को अविधिक, असंवैधानिक और न्यायपालिका की अवमानना करने वाला निर्णय करने से रोका जावे। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा संवैधानिक प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और राजस्थान सरकार की अधिसूचनाओं की पालना करवाने वाले निर्णय दिनांक 09.10.2020 के प्रकाश में PHED में लम्बित DPCs तत्काल करवाई जावें। सादर ,

प्रतिलिपि:- प्रदेश के सभी माननीय
विधायकों को उपरोक्त अन्याय रूकवाने हेतु
आवश्यक कार्यवाही करने बाबत। सादर,

भवदीया,


पाराशर नारायण
(अध्यक्ष)